"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021—अग्रहायण 5, शक 1943

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 अक्टूबर 2021

क्रमांक ई 1-01/2021/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल, भा.प्र.से. (2003) सचिव, माननीय मुख्यमंत्री तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, लोक निर्माण विभाग, सचिव, विमानन विभाग तथा सचिव, खनिज साधन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री एस. भारतीदासन, भा.प्र.से. (2006), विशेष सचिव, मुख्यमंत्री तथा विशेष सचिव, कृषि विभाग (उद्यानिकी, मत्स्यपालन, दुग्ध पालन, गोठान का स्वतंत्र प्रभार), नोडल अधिकारी, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना तथा आयुक्त-सह-संचालक,

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.

जनसंपर्क (पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद) का अतिरिक्त प्रभार को केवल आयुक्त-सह-संचालक, जनसंपर्क एवं पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करता है. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

3. सुश्री तुलिका प्रजापति, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, कृषि विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 6 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 20-43/2021/11/6.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में कंडिका 15.13, 15.21 एवं परिशिष्ट 6.19 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा औद्योगिक नीति की कंडिका-16.1 के अंतर्गत वर्णित परिशिष्ट-1 के बिन्दु क्रमांक-11 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक-2 अनुसार फार्मास्युटिकल उद्योग श्रेणी में न्यूनतम स्थायी पूंजी निवेश राशि रुपये 15 करोड़ निवेश करने वाली तथा राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित इस अधिसूचना के परिशिष्ट "अ" पर दर्शित इकाईयों के लिये "विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज" निम्नलिखित अनुसार घोषित करती है :—

फार्मास्युटिकल क्षेत्र के "मेगा प्रोजेक्ट" के लिए Be Spoke Policy के अन्तर्गत हेतु आर्थिक निवेश प्रोत्साहन योजना

उक्त पैकेज हेतु अन्य सामान्य नियम व शर्तें :—

(1) इस पैकेज का लाभ उन्हीं उद्योगों को प्राप्त होगा जो पैकेज घोषणा की दिनांक से पूर्व छत्तीसगढ़ शासन के साथ एमओयू का निष्पादन कर चुकी हैं. (परिशिष्ट "अ" पर दर्शित इकाईयों).

(2) इस पैकेज में प्रस्तावित इकाईयों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपना व्यावसायिक उत्पादन 31 अक्टूबर, 2024 को अथवा उसके पूर्व प्रारंभ करें.

(3) इस पैकेज में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता के लिए आवश्यक होगा कि प्रस्तावित इकाईयां औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप "मेगा प्रोजेक्ट" के लिए निर्धारित अर्हता पूर्ण करती हों, अर्थात नीति के परिशिष्ट-एक के बिन्दु क्रमांक-11 के अनुसार रुपये 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर व्यावसायिक उत्पादन दिनांक 31-10-2024 के पूर्व उत्पादन प्रारंभ कर लिया हो.

(4) इस पैकेज में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु घोषित अधिकतम मान्य निवेश सीमा रुपये 20 करोड़ तक देय होगी, अर्थात् रुपये 20 करोड़ से अधिक निवेश होने पर भी 20 करोड़ की सीमा के आधार पर ही आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की अधिकतम राशि की गणना की जावेगी. जिन मदों में आर्थिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाना है उनमें इकाई के द्वारा वार्षिक आधार पर मदवार भुगतान की गई/व्यय की गई राशि से अधिक आर्थिक निवेश प्रोत्साहन (अनुदान, छूट, रियायतें) दिया जाना मान्य नहीं होगा.

(5) **अधिकतम आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की सीमा —** इस हेतु नीति में प्रावधानिक परिभाषाओं के अनुसार समग्र रूप से मान्य स्थाई पूंजी निवेश के 60 प्रतिशत अथवा अवधि 10 वर्ष जो पूर्व अवसान हो, तक सीमित होगी. बस्तर एवं सरगुजा संभाग में अधिकतम सीमा 100 प्रतिशत होगी.

(6) यदि विचाराधीन इकाईयां छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों/उपक्रमों द्वारा जारी निविदा में भाग लेती है, निविदा में निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड पूर्ण करती है तथा निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर अपनी उत्पादित सामग्री प्रदाय करने की सहमति देती है, तो इन इकाईयों से निविदाधीन सामग्री का 50 प्रतिशत अथवा इकाई की उत्पादन क्षमता तक की मात्रा जो कम हो, तक सामग्री का क्रय किया जावेगा.

(7) प्रस्तावित इकाईयों को इस नीति के तहत समग्र रूप से औद्योगिक नीति 2019-24 में निर्धारित मदों अथवा पैकेज में निर्धारित सीमा के अनुसार पात्रतानुसार, कुल राशि की गणना निम्नलिखित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन मदों के आधार पर की जायेगी साथ ही प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा :—

(क) ब्याज अनुदान,

(ख) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान (नीति में इन इकाईयों को इस सुविधा की पात्रता मेगा परियोजना होने के कारण नहीं है किन्तु विशेष पैकेज में इस अनुदान को स्वीकृत किये जाने की स्थिति में) उपरोक्त मदों में इकाई को उत्पादन दिनांक से 1 वर्ष पश्चात् अनुदान की प्रथम किश्त देय होगी.

(ग) नवीन इकाइयों के प्रकरण में इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से दो वर्षों तक किए गए मान्य स्थायी पूंजी निवेश को कुल निवेश की गणना में शामिल किया जावेगा.

(8) इकाई कंडिका क्रमांक (7) में उल्लेखित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के साथ ही औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित अन्य आर्थिक निवेश प्रोत्साहन हेतु पात्र होंगी, किन्तु किसी भी अवस्था में समग्र आर्थिक निवेश प्रोत्साहन राशि कंडिका क्रमांक (5) में वर्णित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी.

(9) इस पैकेज के यथा आवश्यक विस्तृत क्रियान्वयन दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे.

(10) फार्मास्युटिकल उद्योग, विभाग की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए उच्च प्राथमिकता की सूची में सूचीबद्ध है अर्थात् इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत सामान्यत: घोषित सुविधाओं से अधिक की पात्रता है. चूंकि इकाई के उत्पाद पर जीएसटी अल्प है एवं कच्चे माल पर जीएसटी अधिक होने के कारण प्रोजेक्ट रिपोर्ट की गणना के आधार पर राज्य को जीएसटी से आय काफी कम होगी. अत: ऐसी इकाईयों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के कोष से इकाई की पात्रतानुसार छूट/अनुदान दिया जावेगा.

(11) विचाराधीन इकाईयों को निविदाओं में उत्पादन से आरंभिक तीन वर्षों के लिये 1. टर्नओवर, 2. अनुभव प्रमाण पत्र एवं 3. डब्ल्यू.एच.ओ. प्रमाण पत्र जैसी शर्तों से छूट प्रदान की जाये.

(12) इस पैकेज के यथा-आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे.

यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुई समझी जावेगी.

परिशिष्ट-"अ"

क्र.	इकाई का नाम	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रुपये करोड़ में)	प्रस्तावित रोजगार
1.	मे. 9 एम इंडिया प्राइवेट, रायपुर	17.63	126
2.	मे. एस्पायर फार्मास्युटिकल्स प्रा. लिमि. रायपुर	23.44	208
3.	मेसर्स मोक्षित कार्पोरेशन, दुर्ग	15.65	59

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 20-52/2019/11/6.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

1. अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 में अंकित संशोधन क्रमांक-13 (तेरह) के अनुसरण में विभाग के द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2019" के परिशिष्ट-(6.2) संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक

एफ 20-52/2019/11/6 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के बिन्दु क्रमांक-(6) के उप बिन्दु-(6.1) में वर्णित प्रावधान एवं तालिका के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(6.1) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान — सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान [नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति सुविधा के स्थान पर विकल्प लिए जाने पर] देय होगा —

उद्यम का स्तर	क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
		स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की अधिकतम सीमा (राशि रुपये लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सूक्ष्म एवं	अ	35	35	40	60	45	65
लघु	ब	35	40	40	65	45	70
उद्योग	स	35	60	35	80	40	90
	द	45	70	40	90	45	100
मध्यम	अ	30	60	35	70	40	80
उद्योग	ब	35	70	40	80	45	90
	स	35	80	45	100	45	110
	द	40	100	45	110	50	120

टीप :—

(अ) पात्र लघु एवं मध्यम उद्योगों को यह विकल्प की सुविधा होगी कि वे या तो उपरोक्तानुसार परिशिष्ट-6.2 अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करें अथवा परिशिष्ट 6.3 (औद्योगिक नीति 2019-24 में वर्णित) अनुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते है.

(ब) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान अथवा नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति हेतु एक बार लिया गया विकल्प अंतिम होगा, तथा अनुदान स्वीकृति के उपरांत किसी भी दशा में विकल्प परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जावेगी.

2. उपरोक्त संशोधनों के तारतम्य में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-52/2019/11/6 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 में जिस स्थान पर "सूक्ष्म श्रेणी" उल्लेखित है, उसके स्थान पर "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी" पढ़ा जावे. साथ ही बिन्दु क्र. (5.10) की द्वितीय पंक्ति में "न्यूनतम 10 वर्ष" के स्थान पर "न्यूनतम 20 वर्ष" पढ़ा जावे. अधिसूचना के अन्य सभी प्रावधान यथावत् लागू होंगे.

यह संशोधन इस संबंध में जारी अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से प्रभावशील होंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 17 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ 20-87/2019/11/6.—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 एवं क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई 2021 से औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-2, उच्च प्राथमिकता उद्योगों की सूची तथा परिशिष्ट-3, प्राथमिकता उद्योगों की सूची में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2019

में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् :—

संशोधन

(एक) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. 1.1 उच्च प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-2) की तालिका में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :—

(1) अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 7 को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से हुये संशोधन के आधार पर दिनांक 22 मई, 2021 से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है.

(2) अधिसूचना तालिका में बिन्दु क्रमांक 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एवं 27 पर अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई, 2021 के माध्यम से हुये संशोधन के आधार पर दिनांक 22 मई, 2021 निम्नानुसार जोड़ा जाता है :—

1.1 उच्च प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-2)—

क्र.	विवरण	प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की न्यूनतम निर्धारित सीमा (राशि रु. लाख में)
7.	टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम, फेब्रिक्स एवं रेडिमेड गारमेंट्स व अन्य प्रक्रिया) (नॉन वोवन फेब्रिक बैग्स को छोड़कर).	140.00
16.	भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयां (प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी).	निरंक
18.	मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट	70.00
19.	मेडिकल ग्रेड आक्सीजन गैस (लिक्विड एवं गैसीयस माध्यम से)	100.00
20.	आक्सीजन गैस सिलेण्डर	70.00
21.	आक्सीजन कन्सनट्रेटर	50.00
22.	क्रायोजेनिक गैस टेंकर	70.00
23.	फेस मास्क, नॉन रिब्रिदर मास्क, आक्सीजन फ्लो मीटर, नेसल केन्यूला आदि.	50.00
24.	नॉन इन्वेसीव वेन्टिलेटर, इन्वेसीव वेन्टिलेटर	200.00
25.	सर्जिकल दस्ताने, पी.पी.ई. किट, ओवर ऑल बॉडी प्रोटेक्टर	200.00
26.	कोविड व अन्य संक्रामक बीमारियों के टेस्ट में उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण, फॉर्मास्युटिकल्स, बीमारियों से संबंधित स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी उपकरण एवं दवाएं.	500.00
27.	टीका बनाने के उपकरण, RT-PCR Test , True-nat Test, Antigen Test, के लिए आवश्यक Reagents.	500.00

(दो) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. 1.2 प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2019-24 का परिशिष्ट-(3) (अ) वर्गीकरण के आधार पर, की तालिका के बिन्दु क्रमांक 10, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्यूपमेंट को अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 मई, 2021 से विलोपित किया जाता है.

(तीन) समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 दिसंबर, 2019 की कंडिका क्र. (4) में विद्यमान प्रावधान के पश्चात् द्वितीय पैरा के तहत् निम्नानुसार प्रावधान अधिसूचना क्रमांक एफ 20-01/2019/11/(6) दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 से जोड़ा जाता है :—

"भारत सरकार से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप इकाईयों को उच्च प्राथमिकता उद्योग की श्रेणी के तहत् औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु पृथक से उच्च प्राथमिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसी इकाईयों को औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट 6.21 के अधीन उच्च प्राथमिकता उद्योग की भांति औद्योगिक निवेश आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे."

समसंख्यक अधिसूचना की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 5 सितम्बर 2021

क्रमांक एफ -1-02/2021/दो-गृह/भापुसे.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-08-2021 जिसके द्वारा श्री प्रशांत कुमार ठाकुर, (भापुसे) पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा के दिनांक 23-08-2021 से 01-10-2021 तक इंडक्शन प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा का चालू प्रभार श्री बी.एन. मीणा, (भापुसे-2004) उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को सौंपा गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में संशोधन करते हुये श्री प्रशांत कुमार ठाकुर, (भापुसे) पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा के उक्त प्रशिक्षण अवधि में श्री विवेक शुक्ला, (भापुसे) सेनानी, 11वीं वाहिनी छसबल, जांजगीर को पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा का चालू प्रभार को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अक्टूबर 2021

क्रमांक एफ 1-24/2013/(6)52 (पार्ट-2).—राज्य शासन एतद्द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 16-07-2021 को छ.ग. माटीकला बोर्ड में श्री बंसत चक्रधारी को सदस्य पद पर नियुक्त किया है. जिसमें गृह जिला-बिलासपुर अंकित है., के स्थान पर गृह जिला-रायपुर पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कुमार ठाकुर, अवर सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर 2021

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2022 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-114/गृह-सी/परीक्षा/2021.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 24 जनवरी, 2022 से सोमवार 31 जनवरी, 2022 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अम्बिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 24-01-2022

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित).	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित).	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, "Electrical Laws (without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	सोमवार, दिनांक 24-01-2022	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety (without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 25-01-2022

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	Paper-3, "Electrical Installation (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 25-01-2022

15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
62.	प्रश्न पत्र 4-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों की सहायता से), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	

बुधवार, दिनांक 26-01-2022 को शासकीय अवकाश

(1)	(2)	(3)
	गुरूवार, दिनांक 27-01-2022	
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
24.	प्रश्न पत्र-"व्यावहारिक शाखा" पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
63.	Paper-5, "Switchgear and Protection (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये.	
	गुरूवार, दिनांक 27-01-2022	
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	प्रश्न पत्र-"पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	Paper-6, "Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 28-01-2022

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 28-01-2022	
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार, दिनांक 29-01-2022	
45.	प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
	शनिवार, दिनांक 29-01-2022	
51.	प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित).	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित).	
	रविवार, दिनांक 30-01-2022 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 31-01-2022	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण पत्रों को गृह विभाग, सी-अनुभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-12-2021 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 8 अक्टूबर 2021

प्ररूप-1
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/2623/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2021.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			एकड़ में	हेक्टेयर में	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
बलरामपुर-रामानुजगंज	वाड्रफनगर	गिरवानी	42.70	17.29	गिरवानी जलाशय योजना के शीर्ष एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई 29-10-2021 को समय 11.00 बजे (स्थान) पंचायत भवन गिरवानी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — गिरवानी जलाशय योजना के शीर्ष एवं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	कुल 27 खातेदार/परिवार
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	राशि 520.50 लाख (पांच करोड़ बीस लाख पचास हजार रुपये) मात्र.
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	—	गिरवानी जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण से 450 हे. खरीफ एवं 225 हे. रबी कुल 675 हे. क्षेत्र में फसलों की सिंचाई की जा सकेगी. गिरवानी के स्थानीय व्यक्तियों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शाए गए तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताये गये उपाय का अनुपालन किया जावेगा. संभावित व्यय रु. 500000/- (पांच लाख रु. मात्र) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्रमांक/5678/02/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	जयरामपारा प.ह.नं. 27	0.32	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग (भ/स), भानुप्रतापपुर.	माटोली पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्रमांक/5679/03/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	पखांजूर	बेलगाल प.ह.नं.66	0.16	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग (भ/स), भानुप्रतापपुर.	मरोड़ा - बेलगाल - छोटेबिटिया मार्ग के चौड़ीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 14 अक्टूबर 2021

क्रमांक/5680/09/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	आसुलखार प.ह.नं. 12	0.35	कार्यपालन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण जगदलपुर.	उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	जयपुर प.ह.नं. 10	0.090	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 04/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	रामानुजनगर प.ह.नं. 22	0.920	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 07/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	चन्दननगर प.ह.नं. 12	0.690	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 08/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	पतरापाली प.ह.नं. 32	0.110	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 10/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	दवना प.ह.नं. 68	0.170	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 11/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	अक्षयपुर प.ह.नं. 33	0.030	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 12/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	सरईपारा प.ह.नं. 21	0.180	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 13/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	तारकेश्वरपुर	0.860	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 14/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	उमेश्वरपुर प.ह.नं.-09	0.440	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 15/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	श्यामपुर प.ह.नं.-06	0.280	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2021

क्रमांक 16/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	कोतल प.ह.नं.-10	1.430	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा. लि.	रेलवे लाइन का निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 16 अगस्त 2021

क्रमांक/06/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नारायणपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.331 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	38	0.053
	41/1	0.032
	42/1	0.008
	40	0.081
	41/2	0.024
	138/12	0.008
	39	0.089
	43/1	0.032
	139/9	0.004
योग	9	0.331

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नारायणपुर व्यपवर्तन के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्रमांक/01/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मतरिंगा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.221 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	71	0.263
	120	0.112
	122	0.024
	212	0.202
	123	0.032
	132	0.222
	124	0.020
	145	0.129
	144	0.096
	210	0.121
योग	10	1.221

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मतरिंग व्यपवर्तन के डूब एवं नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्रमांक/02/अ-82/2019-20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-करौंदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.199 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1373	0.053
1387	0.012
1268	0.004
530	0.008
533	0.004
528	0.008
1275	0.032
1795	0.040
1391	0.065
1276	0.020
1390	0.008
711/3	0.028
699/1	0.004
505/1	0.024
520	0.008
536	0.016
541/1	0.012
1829	0.008
711/1	0.024
1382/2	0.008
1386/1	0.057
695	0.020
531	0.036
534	0.004
429	0.028
711/2	0.024
1797	0.056
696	0.004
706	0.004
1279	0.004
712/3	0.020
691/1	0.016
506	0.016
540	0.008
537	0.004
541/2	0.008
502/2	0.004
686	0.008
1392	0.049
1272/2	0.024
1385	0.077
532	0.004
527	0.012
428	0.154
713/1	0.016
1358	0.004
1270	0.020
1828	0.012
710/2	0.012
710/1	0.012
690/2	0.036
526	0.012
519	0.004
538	0.020
542	0.016
1821	0.008
योग 56	1.199

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रिखी जलाशय नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), उदयपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संचालक, कृषि विपणन छ.ग. रायपुर
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/3694.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6579 दिनांक 23-01-20 द्वारा श्री चम्पूराम साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कुरूद को कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला धमतरी का ज्ञापन क्रमांक/209/स्टेनो/2021 दिनांक 27-08-2021 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कुरूद "ए" श्रेणी (प्रथम वर्ग) की मंडी होने के कारण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री चम्पूराम साहू, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कुरूद के स्थान पर श्री दुलीचंद बंजारे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कुरूद जिला धमतरी (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2021

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2021-22/4023.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/3499 रायपुर दिनांक 16-10-2020 द्वारा सुश्री अर्पिता पाठक, डिप्टी कलेक्टर धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला धमतरी का ज्ञापन क्रमांक/8343/वित्त-1/2021 दिनांक 21-09-2021 द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुश्री अर्पिता पाठक, डिप्टी कलेक्टर धमतरी को तहसीलदार धमतरी का प्रभार सौंपे जाने का उल्लेख करते हुए उनके स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमतरी, जिला धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है.

छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, सुश्री अर्पिता पाठक, डिप्टी कलेक्टर धमतरी के स्थान पर डॉ. विभोर अग्रवाल अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

शिव अनंत तायल,
संचालक.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

नवा रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

CERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्रमांक एफ 2-36/2020/सात-4.—Certified that we have in the forenoon of this day respectively made over and received charge of the office of Secretary, Revenue & Disaster Management, ExOfficio Commissioner, Relief, Commissioner, Rehabilitation, Commissioner, Land Record. In pursuance of order No. ई-1-02/2020/एक/2, Dated 25-10-2021 and that the officer receiving charge traveled joining time (not applicable) on 25-10-2021 (after noon).

Relieved Officer : Reeta Shandilya
Relieving Officer : Neelam Namdev Ekka

हस्ता./-
अवर सचिव.

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अक्टूबर 2021

फा.क्र-18/03/निर्वाचन याचिका/2018-21/2415.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 82/छ.ग.-वि.स./(07/2014)/2021 दिनांक 15 सितंबर, 2021 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्वाचन अर्जी संख्या-07/2014 में दिए गए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के तारीख, 26 जुलाई, 2021 के आदेश को राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

रीना बाबा साहेब कंगाले,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 15 सितम्बर, 2021—24 भाद्रा, 1943 (शक)

सं. 82/छ.ग.-वि.स./(07/2014)/2021.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्वाचन अर्जी सं. 07/2014 में दिये गये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के तारीख 26 जुलाई, 2021 के आदेश को प्रकाशित करता है.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Election Petition No. 7 of 2014
Order reserved on. 26-7-2021
Order Delivered on. 2-8-2021

PETITIONER : Bhuneshwar Prasad Yadav, S/o Pyarelal Yadav, Aged about 58 years, R/o Village Sendri, Tahsil & Distt. Bilaspur (C.G.)

VERSUS

RESPONDENTS : Badridhar Diwan, Aged about 84 years, S/o Late Shri Ishwardhar Diwan, R/o Kilawad, Juna Bilaspur, Bilaspur (C.G.)

For Petitioner : Mr. Harsh Wardhan, Advocate.

For Respondent : The respondent had already died. However, Mr. Abhishek Sinha, Senior Advocate with Mr. D. L. Dewangan Advocate, who earlier has appeared on behalf of the respondent. has appeared to assist the Court.

Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal

C.A.V. Order

1. Proceedings of this matter have been taken-up through video conferencing.

2. This order will govern the issue of abatement of the election petition, as the sole respondent died on 4-5-2021 pursuant to which notice has been issued and published in the Official Gazette on 18-6-2021 as per Section 116 of the Representation of the People Act 1951, but within the period of limitation, no one has filed application for substitution within the period of 14 days from the date of publication of notice in the Official Gazette.

3. Mr. Harsh Wardhan, Learned counsel appearing for the election petitioner, would submit that despite. death of the respondant, the election petition will not abate and proceeding would continue, despite that, no one has been substituted in place of the sole respondent. He relied upon the decisions of the Supreme Court in the matters of Inamati Mallappa Basappa V. Desai Basavaraj Ayyappa and others[1], Sheodan Singh V. Mohan Lal Gautam[2], Dhoom Singh V. Prakash Chandra Sethi and others[3], and that of the Karnataka High Court in the matter of Siddaiah V. Returning Officer, Bangalore and others[4] to buttress his submission.

4. However, Mr. Abhishek Sinha, learned Senioer Counsel ably assisted by Mr. D. L. Dewangan, Learned counse, would submit that the election petition would abate after death of the respondent, as no one has applied for substitution within 14 days from the date of publication of notice of the death of the respondent. He would rely upon the decision of the M. P. High Court in the matter of Rashmi Parihar V. Gangaram Bandil and others[5] to buttress his submission.

5. I have heard learned counsel for the parties and considered their reval submissions made herein-above and also went through the material available on record with utmost circumspection.

6. Reverting to the facts of the case and particularly taking into account the decision rendered by the M. P. High Court in Rashmi Parihar (supra) in which it has clearly been held that the election petition will abate on the death of the deceased respondent if there is no surviving respondent who is opposing the petition and no substitution in place of the deceased respondent has taken place as contemplated under Section 116 of the Representation of the people Act, 1951, the election petition would abate as per the provisions contained in Section 116 of the said Act. In Rashmi Parihar (Supra). It was hold by the M. P. High Court as under in paragraph 21 :-

> "21. For all the foregoing reasons, I have no hesitation to hold that the election petition has abated on the death of the deceased respondent as there is no surviving respondent who is "opposing the petition" and no substitution in place of the deceased respondent could be, or has been, made as contemplated under Section 116 of the Act. I have also no hesitation to hold that in the facts and circumstances of the case, the case being fully covered by the provisions of Section 116 of the Act, resort to any provisions of C.P.C. is not pormissible. That apart, the trial of the charge of corrupt practice of the deceased respondent, in the instant case, in the facts and circumstances of the case, cannot even be proceeded in accordance with the provisions of Order 17, Rule 2 read with Order 9, Rule 6(1) (a), C.P.C., for reasons earlier alluded."

7. In Inamati Mallappa Basappa (supra), the Supreme Court considered Section 116 of the Representation of the People Act, 1951 and held as under :—

> "16. The above provisions go to show that an election petition once filed does not mean a contest only between the parties thereto but creates a situation which the whole constituency is entitled to avail itself of. Any person who might himself have been a petitioner is entitled to be substituted, on the fulfilment of the requisite conditions and upon such terms as the Tribunal may think fit, in place of the party withdrawing and even the death of the sole petitioner or of the survivor of several petitioners does not put an end to the proceedings, but they can be continued by any person who might himself have been a petitioner. Even if the sole respondent dies or gives notice that he does not intend to oppose the petition or any of the respondents dies or gives such notice and there is no others respondent who is opposing the petition, a similar situation arises and the opposition to the petition can be continued by any person who might have been a petitioner, of course on the fulfilment of the conditions prescribed in S. 116. These provisions therefore show that the election petition

1. AIR 1958 SC 698
2. AIR 1969 SC 1024
3. AIR 1975 SC 1012
4. AIR 1988 Karnataka 135
5. 1988 JLJ 427

once presented continues for the benefit of the whole constituency and cannot come to an end merely by the withdrawal thereof by the petitioner or even by his death or by the death or withdrawal of opposition by the respondent but is liable to be continued by any person who might have been a petitioner."

In view of the above stated declaration of law, this judgment is not helpful to the petitioner.

8. In Sheodan Singh (Supra), the Supreme Court has held that election petition alleging corrupt practice against the respondent does not abate or become infructuous on the dissolution of assembly and further held that the Representation of the People Act, 1951 does not provide for abatement of an election petition, either when the returned candidate whose election is challenged resigns or when the assembly is dissolved. As such, this judgment is also in no way helpful to the petitioner.

9. The judgement of the Supreme Court in Dhoom Singh (supra) is not at all applicable to the facts of the present case. Similarly, the decision of the Karnataka High Court in Siddaiah (supra) is not at all attracted to the facts of the present case, as in the Karnataka Municipal Corporation Act, there is no pari materia provision like Section 116 of the Representation of the People Act, 1951.

10. In the instant case also, following Section 116 of the Representation of the People Act, 1951 and the judgment of the M.P. High Court in Rashmi Parihar (supra), it is held that since no one has applied for substitution in place of the deceased respondent within 14 days from the date of publication of notice in the Official Gazette, the election petition would abate under Section 116 of the said Act of 1951 and consequently, the election petition fails and is dismissed on abatement with a cost of Rs. 10,000/- Pending application(s) if any are also disposed off.

11. Substance of this order be communicated forthwith to the Election Commission of India and the Speaker of the Chhattisgarh Vidhan Sabha in accordance with the provisions contatined in Section 103 of the Representation of the People Act, 1951.

Sd/-
SANJAY K. AGRAWAL
Election Judge.

आदेश से,

हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 15th September, 2021—24 Bhadra, 1943 (Saka)

No. 82/CG-LA/(07/2014)/2021.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publish Order dated the 26th July, 2021 of the High Court of Chhattisgarh Bilaspur in Election Petition No. 07 of 2014.

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Election Petition No. 7 of 2014
Order reserved on. 26-7-2021
Order Delivered on. 2-8-2021

PETITIONER : Bhuneshwar Prasad Yadav, S/o Pyarelal Yadav, Aged about 58 years, R/o Village Sendri, Tahsil & Distt. Bilaspur (C.G.)

VERSUS

RESPONDENTS : Badridhar Diwan, Aged about 84 years, S/o Late Shri Ishwardhar Diwan, R/o Kilawad, Juna Bilaspur, Bilaspur (C.G.)

For Petitioner : Mr. Harsh Wardhan, Advocate.

For Respondent : The respondent had already died. However, Mr. Abhishek Sinha, Senior Advocate with Mr. D. L. Dewangan Advocate, who earlier has appeared on behalf of the respondent. has appeared to assist the Court.

Hon'ble Shri Justice Sanjay K. Agrawal

C.A.V. Order

1. Proceedings of this matter have been taken-up through video conferencing.

2. This order will govern the issue of abatement of the election petition, as the sole respondent died on 4-5-2021 pursuant to which notice has been issued and published in the Official Gazette on 18-6-2021 as per Section 116 of the Representation of the People Act 1951, but within the period of limitation, no one has filed application for substitution within the period of 14 days from the date of publication of notice in the Official Gazette.

3. Mr. Harsh Wardhan, Learned counsel appearing for the election petitioner, would submit that despite. death of the respondant, the election petition will not abate and proceeding would continue, despite that, no one has been substituted in place of the sole respondent. He relied upon the decisions of the Supreme Court in the matters of Inamati Mallappa Basappa V. Desai Basavaraj Ayyappa and others[1], Sheodan Singh V. Mohan Lal Gautam[2], Dhoom Singh V. Prakash Chandra Sethi and others[3], and that of the Karnataka High Court in the matter of Siddaiah V. Returning Officer, Bangalore and others[4] to buttress his submission.

4. However, Mr. Abhishek Sinha, learned Senioer Counsel ably assisted by Mr. D. L. Dewangan, Learned counsel, would submit that the election petition would abate after death of the respondent, as no one has applied for substitution within 14 days from the date of publication of notice of the death of the respondent. He would rely upon the decision of the M. P. High Court in the matter of Rashmi Parihar V. Gangaram Bandil and others[5] to buttress his submission.

5. I have heard learned counsel for the parties and considered their reval submissions made herein-above and also went through the material available on record with utmost circumspection.

---

1. AIR 1958 SC 698
2. AIR 1969 SC 1024
3. AIR 1975 SC 1012
4. AIR 1988 Karnataka 135
5. 1988 JLJ 427

6. Reverting to the facts of the case and particularly taking into account the decision rendered by the M. P. High Court in Rashmi Parihar (supra) in which it has clearly been held that the election petition will abate on the death of the deceased respondent if there is no surviving respondent who is opposing the petition and no substitution in place of the deceased respondent has taken place as contemplated under Section 116 of the Representation of the people Act, 1951, the election petition would abate as per the provisions contained in Section 116 of the said Act. In Rashmi Parihar (Supra). It was hold by the M. P. High Court as under in paragraph 21 :-

> "21. For all the foregoing reasons, I have no hesitation to hold that the election petition has abated on the death of the deceased respondent as there is no surviving respondent who is "opposing the petition" and no substitution in place of the deceased respondent could be, or has been, made as contemplated under Section 116 of the Act. I have also no hesitation to hold that in the facts and circumstances of the case, the case being fully covered by the provisions of Section 116 of the Act, resort to any provisions of C.P.C. is not pormissible. That apart, the trial of the charge of corrupt practice of the deceased respondent, in the instant case, in the facts and circumstances of the case, cannot even be proceeded in accordance with the provisions of Order 17, Rule 2 read with Order 9, Rule 6(1) (a), C.P.C., for reasons earlier alluded."

7. In Inamati Mallappa Basappa (supra), the Supreme Court considered Section 116 of the Representation of the People Act, 1951 and held as under :—

> "16. The above provisions go to show that an election petition once filed does not mean a contest only between the parties thereto but creates a situation which the whole constituency is entitled to avail itself of. Any person who might himself have been a petitioner is entitled to be substituted, on the fulfilment of the requisite conditions and upon such terms as the Tribunal may think fit, in place of the party withdrawing and even the death of the sole petitioner or of the survivor of several petitioners does not put an end to the proceedings, but they can be continued by any person who might himself have been a petitioner. Even if the sole respondent dies or gives notice that he does not intend to oppose the petition or any of the respondents dies or gives such notice and there is no others respondent who is opposing the petition, a similar situation arises and the opposition to the petition can be continued by any person who might have been a petitioner, of course on the fulfilment of the conditions prescribed in S. 116. These provisions therefore show that the election petition once presented continues for the benefit of the whole constituency and cannot come to an end merely by the withdrawal thereof by the petitioner or even by his death or by the death or withdrawal of opposition by the respondent but is liable to be continued by any person who might have been a petitioner."

In view of the above stated declaration of law, this judgment is not helpful to the petitioner.

8. In Sheodan Singh (Supra), the Supreme Court has held that election petition alleging corrupt practice against the respondent does not abate or become infructuous on the dissolution of assembly and further held that the Representation of the People Act, 1951 does not provide for abatement of an election petition, either when the returned candidate whose election is challenged resigns or when the assembly is dissolved. As such, this judgment is also in no way helpful to the petitioner.

9. The judgement of the Supreme Court in Dhoom Singh (supra) is not at all applicable to the facts of the present case. Similarly, the decision of the Karnataka High Court in Siddaiah (supra) is not at all attracted to the facts of the present case, as in the Karnataka Municipal Corporation Act, there is no pari materia provision like Section 116 of the Representation of the People Act, 1951.

10. In the instant case also, following Section 116 of the Representation of the People Act, 1951 and the judgment of the M.P. High Court in Rashmi Parihar (supra), it is held that since no one has applied for substitution in place of the deceased respondent within 14 days from the date of publication of notice in the Official Gazette, the election petition would abate under Section 116 of the said Act of 1951 and consequently, the election petition fails and is dismissed on abatement with a cost of Rs. 10,000/- Pending application(s) if any are also disposed off.

11. Substance of this order be communicated forthwith to the Election Commission of India and the Speaker of the Chhattisgarh Vidhan Sabha in accordance with the provisions contatined in Section 103 of the Representation of the People Act, 1951.

Sd/-
SANJAY K. AGRAWAL
Election Judge.

By order,

Sd/-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Senior Principal Secretary,
Election Commission of India.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 22nd September 2021

No. 9354/Checker/III-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences spacified in the said Section :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate First Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Smt. Shweta Shrivastava, J.M.F.C., Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur
2.	Ku. Prerna Ahire, J.M.F.C., Durg, presently posted as Secretary, District Legal Services Authority, Surajpur.	Surajpur	Surajpur
3.	Smt. Amrita Dinesh Mishra, J.M.F.C. Durg	Durg	Durg

By order of the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, I/c Registrar General.